IN THE COURT OF A.D.J-X, KAIMUR AT BHABUA

Title Appeal No. - 70/2017

CIS No. - 70/2017

दिनांक 16.06.2022	उभयपक्ष की ओर से हाजिरी है। वाद पुकार पर उभयपक्ष उपस्थित हुए। अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 28.11.2019 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 वो 9 सी0पी0सी0 को संचालित किया गया एवं कथन किया गया कि उत्तरवादी संख्या–13 लालचंद बिन्द की मृत्यु दिनांक 03.07.2018 को हो गई वो उनके वारीसान दिगर अशखाश प्रतिस्थापित होगें वो पक्षकार बनने का आवेदन दिनांक 02.08.2019 को दिए, जिसपर मन अपीलार्थी के तरफ से अनापत्ति दिया गया, लेकिन आवेदन दिनांक 04.02.2019 से संचालित नहीं होने के कारण खारिज हुआ। मन अपीलार्थीगण प्रतिस्थापना पत्र दाखिल करने में जान–बूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है बल्कि जो विलम्ब हुआ है, वह आवेदन दिनांक 04.02.2019 के लंबित रहने के कारण हुआ है। अपीलार्थीगण देहाती वो गंवार व्यक्ति है, वो कानून की जानकारी नहीं रखता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उत्तरवादी संख्या–13 लालचंद बिन्द का नाम अपील के वादपत्र से कलमजद कर उनके जगह पर उनके वारिसान अशर्फी बिन्द, ब्रजेश बिन्द, धर्मेन्द्र प्रसाद, हाकिम बिन्द, मो0 जमुनी कुंवर एवं हीरा बिन्द का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। उक्त आवेदन पर विपक्षी द्वारा अनापत्ति दाखिल किया गया। सुना। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदन दिनांक दिनांक 28.11.2019 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 वो 9 सी0पी0सी0 पर विपक्षी द्वारा अनापत्ति दर्ज किया गया है। अतः उक्त आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय आवेदनानुसार विपक्षी संख्या–13 का नाम वादपत्र से विलोपित करें एवं उनके वारिसान अशर्फी बिन्द, ब्रजेश बिन्द, धर्मेन्द्र प्रसाद, हाकिम बिन्द, मो0 जमुनी कुंवर एवं हीरा बिन्द का नाम प्रतिस्थापित करें। दिनांक 20.07.2022 वास्ते प्रतिस्थापित विपक्षी के उपस्थिति हेतु। अपीलकर्ता सम्मन नोटिस की आपेक्षिताएं दाखिल करें। लेखापित ह0/– अपर जिला न्यायाधीश–दशम् कैमूर, भभुआ